झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद   संख्या 67   वर्ष 2023

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी,
पोड़ैयाहाट, जिला-गोड्डा

बनाम

वाद प्राप्ति की तिथि
21/12/2023.

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, गोड्डा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–67 / 2023

परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा, राशन कार्ड सं0–202001142929 का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिना सूचना उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि परिवादी अत्यन्त गरीब हैं एवं राशन नहीं मिलने से उनके परिवार के समक्ष खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। परिवादी द्वारा राशन कार्ड के पुनः चालू करवाने एवं दोषी पदाधिकारी को दण्डित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त परिवाद पत्र को आयोग के ई–लेटर सं0–WA/601/2023 दिनांक–08.09.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था, जिसपर कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। उक्त मामले में आयोग स्तर पर आहार पोर्टल के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता के राशन कार्ड को "Not eligible based on inclusion or exclusion criteria" के आधार पर डिलिट कर दिया गया है। जिसके आधार पर पुनः आयोग के पत्रांक–937 दिनांक–10.11.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन की मांग की गई।

DSO, गोड्डा के पत्रांक–1101 दिनांक–14.11.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्ता का राशन कार्ड रद्द करने हेतु दिनांक–24.11.2022 को ऑनलाईन आवेदन कर सरेन्डर किया गया था, जिस कारण BSO लॉगिन से Approved होने के उपरान्त दिनांक–01.04.2023 को DSO लॉगिन से Approved किया गया था।

उक्त मामले में आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx154